न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—244 सन् 2018

शिवनाथ प्रसाद..........................वादी।

बनाम

नागेश्वर बैठा वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक—01.09.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 02 ता 04 की ओर से बयान तहरीरी में हुए विलंब को माफ करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 06.02.2020 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी 02 ता 04 का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद में कुछ कागजात की कमी के कारण बयान तहरीरी दाखिल नहीं हो सका था। प्रतिवादी सं0 02 ता 04 की ओर से हुए देर को माफ करन बयान तहरीरी स्वीकार करने की आवश्यकता है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 ता 04 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए बयान तहरीरी ग्राह्य करने की कृपा की जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी दिनांक 25.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुए थे, परंतु अपना बयान तहरीरी कुछ आवश्यक कागजात नहीं मिलने के कारण विलंब से दाखिल किया गया हैं। ऐसी परिस्थिति में वाद की सम्यक निष्पादन हेतु बयान तहरीरी ग्राह्य होना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी सं0 02 ता 04 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को 200/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी खर्च की राशि वादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक.................को 89 सी0पी0सी0 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।